.2020 ... पीठासीन अधिकारी ... से व्यस्त होने से पेशी ... तारीख नियत की जाती है।

2020

13.10.2020

... पीठासीन अधिकारी ... से व्यस्त होने से पेशी ... तारीख नियत की जाती है।

20

27/10/2020

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मड़ेरणा ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया अप्रार्थीगण की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। उभय पक्षकारान सुनी गई निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया निर्णयानुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

Scanned with CamScanner

–::निर्णय::–

दिनांकः– 27/10/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– तहसील ओसियां ग्राम विष्णुनगर खाबड़ा खुर्द में खसरा नम्बर 1903 रकबा 5.4552 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की आई हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1903/1 रकबा 2.3472 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1903 की भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज थी जिसमें से 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान की गई जिसके बेचान नामा में बेचान सुदा भूमि के पड़ौस स्पष्ट अंकित है जिसमें उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ विक्रेता की भूमि अंकित है तथा इसी अनुसार मौके पर कब्जा सुपुद किया

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

था तथा इसी भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी की कच्ची रहवासीय ढाणियां बनी हुई थी जिस स्थान पर वर्तमान में पक्के मकान बने हुए है तथा उक्त भूमि के पूर्वी दिशा में सीमा पर एक रास्ता आवागमन हेतु प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा अपनी भूमि में से छोड़ा हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि की ऑनलाईन नक्शे में तरमीम करते वक्त मौके के विपरीत तरमीम कर दी गई जबकि मौके पर कब्जा काश्त संलग्न नजरी नक्शे व बेचान नामा में अंकित पड़ौस के अनुसार चला आ रहा है तथा रास्ता आपसी सहमति से छोड़ा हुआ है। मात्र ऑनलाईन नक्शे में तरमीम गलत हो रखी है। प्रार्थी नक्शे में की गई गलत तरमीम को शुद्ध करवाने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1903 रकबा 5.4552 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1903/1 रकबा 2.3472 हैक्टेयर बाबत् की गई तरमीम को निरस्त की जाकर मौके पर कब्जा के आधार पर संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार आवागमन हेतु पूर्वी सीमा पर 12 फीट का रास्ता छोड़ते हुए नये सिरे से राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने का आदेश सादिर फरमावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता दिनेश मदेरणा उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इकबली जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने हेतु सहमति जाहिर की। बहस पक्षकारान सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार रास्ता छोड़ते हुए की जानी उचित है।

सहायक कलक्टर, ...

Scanned with CamScanner

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1903 रकबा 5.4552 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1903/1 रकबा 2.3472 हैक्टेयर, ग्राम विष्णुनगर खाबड़ा खुर्द, तहसील ओसियां के बाबत् पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त की जाकर मौके पर कब्जा काश्त एवं पत्रावली में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार आवागमन हेतु 12 फीट का रास्ता छोड़ते हुए पुनः तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो, नजरी नक्शा निर्णय का अंग समझा जावें पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 27/10/202. को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner